

22/8/24 पत्रावली पेशा हुई। वादीगण एवं उनके अधिवक्ता
हजर नहीं। बोल-बाल व शक-शक कर आवाजे
लगाई जाने पर भी वादीगण व उनके अधिवक्ता
न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः
वादीगण का वाद अफम हजरी व अफम पेशी
में खारीज किया जाता है।

उपसम्यह अधिकारी
मंडल जिला भीलवाड़ा